न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 204/2022

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. नाजम सिंह पुत्र पाल सिंह जाति नाई सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः- .11.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 14.11.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के मुरब्बा नम्बर 27, 86 की कुल 3.540 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के पिता पाल सिंह के नाम 0.281 हेक्टैयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17,18,19,20 मौके पर नहरी है। जो कि गलती से जमाबन्दी में बारानी दर्ज हो गया है। चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 39 में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17,18,19,20 नहरी सही दर्ज है। मौके पर प्रार्थी का रकबा नहरी है और पानी की बारी बंधी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है। कि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17,18,19,20 को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 393 दिनांक 16.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के किला नम्बर 17 ता 20 सालम बारानी, 21,22 सालम नहरी कुल 1.518 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 86 में 2.022 हेक्टैयर नहरी कुल 3.540 हेक्टैयर भूमि संयुक्त खाते में कमलदीप कौर पुत्री छोटा सिंह आदि के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड, खसरा गिरदावरी खरीफ व रबी सम्वत 2076,2077,2078 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 20 में नहरी काश्त हो रही है। मौका पर भी उक्त रकबे पर नहरी फसल काश्त हो रही है। मौका व खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त रकबा को बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखंड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 27 में 17 बीघा कमाण्ड एंव 8 बीघा अनकमाण्ड है। उक्त वर्णित क्षेत्र गंगनहर के पानी आने के समय से मूल रूप से ही कमाण्ड है। टीआरए शाखा की भूमि विक्रय पंजिका संख्या 4 के पेज नम्बर 38 पर चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 66 की 2-18 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27 की 6 बीघा कुल 8-18 बीघा [illegible] 400 रुपये प्रति बीघा नहरी दर से 3560/- रुपये में आवंटित हुआ था जिसकी समस्त [illegible] राजकोष में जमा करवा दी गयी है। कोई राशि जमा से शेष नहीं है। चक 1 एस के [illegible] नम्बर 27 की सीसीए में [illegible] बीघा भूमि कमाण्ड है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी [illegible] 5 बिस्वा रकबा ही नहरी शेष रकबा बारानी है। अतः मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 20 की 4 बीघा भूमि को नहरी किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53, चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 146, चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 74, खसरा गिरदावरी खरीफ सम्वत 2076 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी रबी सम्वत 2076 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी खरीफ सम्वत 2077 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी रबी सम्वत 2077 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी खरीफ सम्वत 2078 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी रबी सम्वत 2078 की प्रमाणित प्रति, अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर का सीसीए चक प्लान 1 एस की प्रति, पर्ची वाराबन्दी की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 18 की कुल 1.012 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, खसरा गिरदावरी खरीफ व रबी सम्वत 2076,2077,2078 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 20 में नहरी काश्त हो रही है। मौका पर भी उक्त रकबे पर नहरी फसल काश्त हो रही है। मौका व खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त रकबा को बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है। टीआरए शाखा की भूमि विक्रय पंजिका संख्या 4 के पेज नम्बर 38 पर चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 66 की 2-18 बीघा, मुरब्बा नम्बर 27 की 6 बीघा कुल 8-18 बीघा नहरी भूमि 400 रुपये प्रति बीघा नहरी दर से 3560/- रुपये में आवंटित हुआ था। जिसकी समस्त राशि राजकोष में जमा करवा दी गयी है। कोई राशि जमा से शेष नहीं है। चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 27 की सीसीए में 17 बीघा भूमि कमाण्ड है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में 10 बीघा 5 बिस्वा रकबा ही नहरी है। शेष रकबा बारानी है। अतः मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 20 की 4 बीघा भूमि को नहरी किया जाना उचित है। अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन उत्तरखंड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 27 में 17 बीघा कमाण्ड एंव 8 बीघा अनकमाण्ड है। उक्त वर्णित क्षेत्र गंगनहर के पानी आने के समय से मूल रूप से ही कमाण्ड है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 10 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 11/1 के 0.038 हेक्टैयर, 11/3 के 0.139 हेक्टैयर, किला नम्बर 13/1 के 0.177 हेक्टैयर, किला नम्बर 14/1 के 0.215 हेक्टैयर, किला नम्बर 15 की 0.253 हेक्टैयर, 16 की 0.253 हेक्टैयर, 21 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 22 की 0.253 हेक्टैयर, 23/1 की 0.189 हेक्टैयर, किला नम्बर 23/2 की 0.063 हेक्टैयर, किला नम्बर 24 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 25 की 0.253 हेक्टैयर भूमि कमाण्ड दर्ज है। अतः मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 20 को नहरी किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभिंयता 'जल संसाधन उत्तरखंड श्रीगंगानगर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के किला नम्बर 17 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 की 0.253 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
नाजम सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88** आरटीए मुकदमा नं. **204/2022**
निर्णय दिनांक :- **14.11.2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 53 के किला नम्बर 17 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 की 0.253 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.11.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 14.11.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/575
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested